Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding the problems faced by farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.

श्री राहुल कस्वां (चुरू): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद । मैं आपके मार्फत से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं । प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की वर्ष 2016 में शुरूआत हुई थी । इसका बहुत ही बेहतरीन फायदा हमारी कांस्टिट्युएंसी के लोगों को मिला है ।

मौसम की दृष्टि से चुरू एक ऐसा क्षेत्र है, जहां सर्दी और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है । समय-समय पर लोगों को इस क्लेम का बेहतरीन फायदा मिला, लेकिन प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में कुछ दिक्कतें आती हैं । बैंक इस योजना का बहुत बड़ा स्टेकहोल्डर है । बैंक, बीमा कंपनी और भारत सरकार का एनसीआईपी का पोर्टल है । बैंक कई बार उस पोर्टल पर एंट्री नहीं कर पाता है । हमने सरकार द्वारा कई बार बैंक के पोर्टल को खुलवाने की कोशिश भी की ।

महोदय, दिक्कत यह आती है कि बैंक जल्दबाजी या लापरवाही में पोर्टल पर गलत एंट्री चढ़ा देता है । पोर्टल पर गलत चढ़ी हुई एंट्री को ठीक करने का प्रावधान नहीं है । इसके चलते हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत से किसान हैं, जिनको पटवार-मंडल में नुकसान तो हुआ, लेकिन उन्हें क्लेम नहीं मिल पाया ।

साथ ही साथ बीमा कंपनी के अधिकारी भी इस तरह की काफी लापरवाही बरत देते हैं, जिसके कारण व्यक्तिगत नुकसान होता है । मेरे लोक सभा क्षेत्र में नोहर में 9,500 ऐसे किसान हैं, जिनको 2019-20 में व्यक्तिगत नुकसान हुआ, लेकिन आज एक साल से ऊपर बीत जाने के बाद भी कंपनी इन किसानों को क्लेम देने का काम नहीं कर रही हैं ।

साथ ही साथ वर्ष 2019 की जो खरीफ की फसल थी, उसमें नोहर और भादरा के 14 पटवार-मंडल ऐसे रह गए, जिनको बीमा कंपनी क्लेम देने का काम नहीं कर रही है ।

ये जो अनियमितताएं हो रही हैं, इनके कारण किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है । मेरे लोक सभा क्षेत्र में इस साल एक हजार करोड़ रुपये से ऊपर का क्लेम मिला है । जब इतना बड़ा क्लेम मिलता है, तो लोगों की जागृति बढ़ती है । लापरवाही के कारण, चाहे वह लापरवाही बैंक की हो या बीमा कंपनी की हो, किसान उस क्लेम से वंचित रहता है ।

मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि पोर्टल के ऊपर वर्ष 2017, 2018 और 2019 की ऐसी अनेकों गलत एंट्रियां चढ़ी हैं । इन किसानों का प्रीमियम कटा है, इनका मुआवजा बनता है । सरकार इनके लिए एक कैंप लगाए और बैंकों या बीमा कंपनियों की लापरवाही के कारण इनको क्लेम से वंचित क्यों रखा जाए? इस पर सरकार अपना ध्यान दे । बहुत-बहुत धन्यवाद।